CHANDRAKANTI RAMAWATI DEVI ARYA MAHILA P.G. COLLEGE

चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी.जी. कालेज

(Accredited by NAAC) दीवान बाजार, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)

Mobile No-+91-907665166 Mail ID- crdpgcollege.gkp@gmail.com

Address: New Colony, Dewan Bazar Gorakhpur -273001

Reservation Policy of UP State Government

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-1191/सत्तर-2-2010-3(58)/79
लखनऊःदिनांकः 11 जून, 2010

अधिसूचना
आदेश

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23 सन् 2006) की धारा-4 के अधीन भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक संस्थाओं से भिन्न शैक्षणिक संस्थानों, जिसके अन्तर्गत निजी शैक्षणिक संस्थाऍ भी हैं, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या गैर सहायता प्राप्त हों, में किसी शैक्षिक वर्ष में प्रवेश हेतु स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के सापेक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रवेश के स्तर पर निम्नलिखित प्रतिशत में, आरक्षण की व्यवस्था है:-

(क) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए : प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 21 प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए : प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 2 प्रतिशत

(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए : प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटो का 27 प्रतिशत

रिट प्रिटीशन संख्या-2160(एम0/बी0)/2009 ऊषा एजूकेशनल इंस्टीट्यूट बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05-03-2009 को पारित आदेश में उक्त आरक्षण व्यवस्था को निजी शिक्षण संस्थानों में लागू किये जाने को स्थगित कर दिया गया। उक्त स्थगनादेश को अपास्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

2- अतः उक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23 सन् 2006) की धारा-12 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय अल्पसंख्यक संस्थाओं तथा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त रिट याचिका में पारित अन्तिम आदेश तक निजी संस्थाओं को छोड़कर सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/संस्थाओ एवं राजकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं में संचालित व्यावसायिक

...2/-

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज,गोरखपुर

CHANDRAKANTI RAMAWATI DEVI ARYA MAHILA P.G. COLLEGE
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी.जी. कालेज
(Accredited by NAAC) दीवान बाजार, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
Mobile No-+91-907665166 Mail ID- crdpgcollege.gkp@gmail.com
Address: New Colony, Dewan Bazar Gorakhpur -273001

Translated order of Govt. of Uttar Pradesh regarding reservation policy of sc, st and other backward classes of state

UTTAR PRADESH GOVT.

Higher education section

N0. 1191/seventy-2, 10 – 3(58)79

Lucknow :10 June 2010

Order-

Under Para-4 of the Uttar Pradesh Educational Institutions Admission (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Scheduled Classes) Act, 2006 (Uttar Pradesh Act No. 23 of 2006), there is provision for reservation in the following percentage at the State level for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories of citizens for admission in any academic year in educational institutions other than minority institutions specified in Clause (1) of Article 30 of the Constitution of India including private educational institutions, whether aided or non-aided.

(a) For Scheduled Caste candidates-------21% of all seats in the state for each course

(d) For Scheduled Tribe candidates--------2% of all seats in the state for each course

(c) For Other Backward Classes of citizens-----27% of all seats in the state for each course

For candidates in Writ Petition No. 2160 (M/P)/2009, Other Educational Institute vs. State of Uttar Pradesh and others, the High Court in its order dated 05-03-2009, has stayed the said reservation and the problem of admission to a particular educational institution. Action is being taken to cancel the said stay order. 2- In the said writ petition, the Uttar Pradesh Minority Institutions should take action under the said writ petition (Reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 2006 (Uttar Pradesh Act 2006 No. 12-12), Governor: Minority institutions and private institutions except private institutions shall be entitled for admission in private schools run in aided private schools, colleges or educational institutions till the final order passed in the said writ petition of the High Court.

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज,गोरखपुर

CHANDRAKANTI RAMAWATI DEVI ARYA MAHILA P.G. COLLEGE
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी.जी. कालेज
(Accredited by NAAC) दीवान बाजार, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
Mobile No-+91-907665166 Mail ID- crdpgcollege.gkp@gmail.com
Address: New Colony, Dewan Bazar Gorakhpur -273001

पाठ्यक्रमों में उपरोक्तानुसार आरक्षण तथा उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थि... को सम्मुख विवरणानुसार क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण लागू किये जाने का आदेश प्रदान करते हैं:-

(क) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए	:	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2 प्रतिशत
(ख) उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को	:	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत
(ग) शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के लिए	:	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 3 प्रतिशत
(घ) महिलाओं के लिए	:	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत

उपर्युक्त प्रत्येक क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य श्रेणियों में से उसी श्रेणी में रखा जायेगा, जिससे वह सम्बन्धित है। उदाहरण के लिए यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को प्रदत्त आरक्षण के अन्तर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का है तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सेवारत/भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिए उपलब्ध आरक्षण के अन्तर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी यदि अन्य पिछड़े वर्ग का है तो उसे अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार किसी प्रवेश सीट पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य) उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा, उदाहरण के लिए यदि महिला अभ्यर्थी अनुसूचित जाति की है तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। यदि कोई महिला किसी प्रवेश सीट पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जायेगी। प्रवेश सीटों पर चयन में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें यदि महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरी जा सकें तो वह सीटें उस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी।

3- यदि उक्त प्रस्तर-1 के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी हुई रह जाती है तो उसी श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए दूसरा विशेष प्रवेश/अभियान चलाया जायेगा।

4- यदि प्रस्तर-3 में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान में अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्ति को अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों से भरा जायेगा।

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी० जी० कालेज,गोरखपुर

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी० जी० कालेज,गोरखपुर

CHANDRAKANTI RAMAWATI DEVI ARYA MAHILA P.G. COLLEGE
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी.जी. कालेज
(Accredited by NAAC) दीवान बाजार, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)

Mobile No-+91-907665166 Mail ID- crdpgcollege.gkp@gmail.com

Address: New Colony, Dewan Bazar Gorakhpur -273001

यदि प्रस्तर-1 के अधीन आरक्षित सीटों में से कोई सीट उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण प्रस्तर-3 या 4 में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान के पश्चात् भी बिना भरे रह जाती है तो ऐसी रिक्ति को योग्यता के आधार पर किसी अन्य उपयुक्त अभ्यर्थी से भरा जायेगा।

6- यदि उक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयनित होता है और यदि वह सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बना रहना चाहता है तो उसे उक्त प्रस्तर-1 के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

7- उपर्युक्त आरक्षण व्यवस्था के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व किसी शैक्षणिक वर्ष में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आयोजक विश्वविद्यालय का होगा तथा आरक्षण की व्यवस्था हेतु उक्त प्रक्रिया का उल्लंघन अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

अनिल सन्त
सचिव।

संख्या-1191(1)/सत्तर-2-2010-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के प्रमुख सचिव।
(2) कुलपति/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।
(5) सचिव, बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-2
(6) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0-2010, लखनऊ विश्वविद्यालय, लख Type your text
(8) निदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
(10) अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(11) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 रामानन्द प्रसाद)

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज,गोरखपुर

प्राचार्या
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला
पी० जी० कालेज,गोरखपुर